संख्याः 3122 / 1–10–2008–12(73) / 2008

प्रेषक,

जी0के0 टण्डन,
राहत आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
जालौन।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊ दिनांकः11 जून, 2008

विषयः: प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपदों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु जल निगम को धनावंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री वीरेन्द्र अग्रवाल, मुख्य अभियन्ता(वि0 यां0), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्रांकः644 / वि0 / यां0 / 2062–0084 / 08, दिनांकः05 जून, 2008 द्वारा प्रदेश के सूखाग्रस्त घोषित जनपद जालौन में तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरी य आपदा राहत समिति की बैठक दिनांकः 06 जून, 2008 में लिए गए निर्ण य के क्रम में रू0 98,73,000 / – (रूपये अठानवे लाख तिहत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित मदों में अनुगामी प्रस्तरों में उल्लिखित **शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन** श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

कमांक	मद का विवरण	मात्रा	आवंटित धनराशि (लाख रु0 में)
1	विभिन्न ग्रामीण पेयजल योजनाओं में नलकूप रिबोरिंग का कार्य।	2 नग	31.00
2	नगरपालिका एवं नगर पंचायत के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अधिष्ठापित खराब हैण्डपम्पों की रीबोरिंग।	115 नग	47.50
3	नगरपालिका एवं नगर पंचायत के समस्याग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पेयजल वितरण का कार्य हेतु ट्रैक्टर किराया।	10 नग	7.83
4	नगरपालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में समस्याग्रस्त क्षेत्रों में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों की मरम्मत का कार्य।	1100 नग	12.40
	योग		98.73
	(रूपये अठानवे लाख तिहत्तर हजार मात्र)		

E/Manoj/Allot.08

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या –51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–आपदा राहत निधि–800–अन्य व्यय–03– राष्ट्रीय आपदा निधि से व्यय –42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अध्यक्ष, झाँसी जल संस्थान/मण्डलायुक्त, झाँसी मण्डल द्वारा आवश्यकता का आंकलन करते हुये विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जायेगी। उक्त कार्ययोजना के आगणन का जिला स्तरीय तकनीकी समिति से परीक्षण कराने के उपरान्त ही विभाग को धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाय।

उक्त कार्य जनपद जालौन के जल संस्थान द्वारा कराये जायेंगे। कार्य स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि जल संस्थान द्वारा कराये जा रहे कार्य जल निगम द्वारा पूर्व में स्वीकृत तथा कार्यान्वित कार्यो से भिन्न हों।

4. आपदा राहत निधि की धनराशि से तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य पेयजल योजना हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि की सूची मा0 जनप्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाय तथा इसके व्यय में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाय।

5. **मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारी अनिवार्य रूप से जाँच टीम गठित करेंगे** तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय की जाने वाली धनराशि आपदा राहत निधि की गाइड लाईन्स तथा मानक के अनुरूप हो। निरीक्षण आख्या शासन को अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाय। जाँच दल द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं की पूर्व सूचना/आख्या शासन को अनिवार्य रूप से दो दिन में उपलब्ध कराया जाय।

6. उक्त मदवार स्वीकृत किये गये कार्यो में किसी प्रकार का विचलन गम्भीर अनियमितता माना जायेगा।

7. उक्त आवंटित धनराशि विभाग के माँग पर जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करते हुये आहरित की जायेगी कि आहरित की जाने वाली धनराशि का सम्पूर्ण उपभोग दिनांक 30 जून, 2008 तक अनिवार्य रूप से हो जाय।

8. आपदा राहत निधि की धनराशि शासनादेश संख्या– जी0आई0–134/1–11–2007 –46/97 दिनांक 31 जुलाई, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार तत्काल व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय।

9. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा–जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा

हस्ताक्षरित किया जाय। मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या–1693/1–11–2005–रा0–11 दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 5 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट http//rahat.up.nic.in पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते सम्भावित हों तो उन्हें दिनांक10 जुलाई, 2008 तक अनिवार्य रूप से शासन को समर्पित कर दिया जाय।

10. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर–369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाय।

11. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(जी0के0 टण्डन)
राहत आयुक्त एवं सचिव

संख्या : 3122 (1)/1–10–2008–12(73)/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार (लेखा)/महालेखाकार (आडिट प्रथम), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन
3. मण्डलायुक्त, झाँसी।
4. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
5. अध्यक्ष जल निगम, झांसी मण्डल
6. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, जालौन।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग –5।
9. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी/लेखाकार राजस्व अनुभाग–10/राजस्व अनुभाग – 6/11।
10. चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 की धनावंटन पत्रावली में रखने हेतु।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राज किशोर यादव)
विशेष सचिव

E/Manoj/Allot.08